

# विहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

## 12 अग्रहायण़ 1940 (श००) <br> (सं० पटना 1017) पटना, सोमवार, 3 दिसम्बर 2018

संसदीय कार्य विभाग
अधिसूचना
26 नवम्बर 2018
सं० सं०का०-1/वि०मं०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते) $05-06 / 2017-793-$ विहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) की घारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विहार के राज्यपाल एतद द्वारा विहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशंन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली

विहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, मत्ता और पेंशन) (संशोघन) नियमावली, 2018

1. संक्षिप्त नाग और आरंम।- (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
(2) यह दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली. 2006 के नियम 3 (ख) में संशोधन।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3 (ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक " 30,000 /- (तीस हजार) रूपये" को उंक, शब्द एवं कोष्ठक " 40,000 /- (चालीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त उंक, शब्द एवं कोष्ठक " $45,000 /$ - (पैंतालीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक " 50,000 /(पचास हजार) रूपये" द्वारा प्रतिर्थापित किया जायेगा।
4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $10,00,000$ /- (दस लाख) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $15,00,000 /-$ (पन्द्रह लाख) रूपये" द्वारा प्रतिरथापित किया जायेगा।
5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $6,000 /-$ (छ: हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक " 10,000 /- (दस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन।-उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक " 20,000 /- (बीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक " 30,000 /- (तीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगग।
7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 में संशोघनः उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $2,00,000 /$ - (दो लाख) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $3,00,000 /$ (तीन लाख) रूपये" द्वारा प्रतिरथापित किया जायेगा।
8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11 (2) में संशोधन।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11 (2) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $22,250=00 /$ - (बाईस हजार दो सौ पचास) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक " 28,000 /- (अठाईस हजार) रूपये" तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $6000=00 /-$ (छ: हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $7,000 /$ - (सात हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन। उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $25,000 /$ - (पच्चीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक " 35,000 /- (पेंतीस हजार) रूपये" तथा पाँचवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $2,000 /$ - (दो हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $3,000 /$ - (तीन हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) में संशोधन ।-उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $1,00,000 /$ - (एक लाख) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक " $1,50,000 /-$ (एक लाख पचास हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

विहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

> अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
> विहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
> बिहार गजट (असाधारण) 1017-571+1000-डी0टी0पी01

Website: http://egazette.bil.nic.in

